न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 07/2018 (अपील)

GCMS No. 2018/00039

छीतर आत्मज श्री भोजराज जाति गुर्जर निवासी सलकिया पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये सहायक वन संरक्षक अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क कोटा (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय दिनांक 30.11.2017 न्यायालय सहा0 वन संरक्षक अभेड़ा बायलोजिकल पार्क कोटा उनवान सरकार बनाम छीतर प्र0 सं0 180/17 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 टे0 ए0

उपस्थिति

1. श्री किशन अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–12.10.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक अभेड़ा बायलोजिकल पार्क कोटा द्वारा ग्राम नान्ता के हाल ख0नं0 1778 (साबिक खसरा नम्बर 1206, 1207, 1206, 1208, 1209 की 650.32 वर्ग मीटर वन भूमि में अप्रार्थी अपीलान्ट छीतरलाल ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लूज स्टोन बाडा बना रखा है की रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज अभेडा बायोलोजिकल पार्क कोटा के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 180/2017 दर्ज कर आदेश दिनांक 30.11.2017 से अप्रार्थी अपीलांट को उक्त स्थल से बेदखल किए जाने के आदेश किए एवं 700/– की शास्ति अधिरोपित की गई ।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 12.01.2018 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस व दस्तावेज और कानूनी नजीरों का सही रूप विवेचन न कर उन्हें अपने आदेश में डिसकस न कर आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । नोटिस में वर्णित भूमि पर अपीलान्ट अपने पिता भोजराज के समय से लगभग 70–75 वर्ष खेती कर नल कूप लगाकर तथा रिहायशी हेतु मकान बना कर उस पर मालिक काबिज चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्य को नजर अन्दाज करके कयास के आधार पर आरबिट्रेरी रूप से अपना उक्त आदेश पारित किया है । वास्तवितकता यह है कि उक्त भूमि राजस्व भूमि है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा समय समय पर धारा 91 ले0रे0ए के अन्तर्गत कार्यवाही की गई, जिसके विरूद्व अपीलान्ट व उसके पिता द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जिन्हें अपीलीय

जिला कलेक्टर
कोटा

अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व की है, वन विभाग की नहीं है । इन परिस्थितियों में प्रस्तुत कार्यवाही करने का वन संरक्षक को अधिकार भी नहीं है । वर्तमान में विवादित भूमि नगर निगम की सीमा व क्षेत्राधिकार में आती है जो नगर निगम का वार्ड नं0 3 है इसलिए इस भूमि के विषय में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार क्षैत्र मात्र नगर निगम कोटा को है वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट व उसके पिता गत 75 वर्ष से मालिक काबिज है, वहां बाडा व घर बनाये हुए है जिनमें मवेशी बांधता है निवास करता है तथा आराजी में काश्त कर फसल पैदा कर अपनी आजीविका कमाता है, परिवार का पालन पोषण करता है । 30–35 वर्ष पूर्व 2 कुंए व 5 बोरिंग भी खुदवा रखे है एक कुंआ 75 वर्ष पहले खुदवाया था, जो आराजी का सिंचाई का एक मात्र माध्यक है । उक्त आदेश अपीलान्ट की उपस्थिति में पारित नहीं किया है न उसकी उपस्थिति में सुनाया गया है अपीलान्ट कई बार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से इस विषय में मिला, लेकिन उनके द्वारा निर्णय नहीं लिखाया होने का कथन किया गया, इसके पश्चात अपीलान्ट दिनांक 20.12.2017 को वायरल बुखार से पीडित हो गया तथा दिनांक 1.1.2018 को ठीक होने पर 2.1.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ उसे नकल लेने हेतु आवेदन देने को कहा तब अपीलान्ट ने दिनांक 2.1.2018 को नकल हेतु आवेदन किया दिनांक 10.1.2018 को नकल प्राप्त हुई । अतः अपील अविलम्ब पेश की गई है विलम्ब सद्भाविक है तथा क्षमायोग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर न देकर तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर अपने निर्णय में बिना चर्चा किये ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है । अपीलान्ट अपने पिता भोजराज के समय से लगभग 70–75 वर्ष खेती कर नल कूप लगाकर तथा रिहायशी हेतु मकान बना कर उस पर मालिक काबिज चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्य को नजर अन्दाज करके कयास के आधार पर आरबिट्रेरी रूप से अपना उक्त आदेश पारित किया है । वास्तवितकता यह है कि उक्त भूमि राजस्व भूमि है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा समय समय पर धारा 91 ले0रे0ए के अन्तर्गत कार्यवाही की गई, जिसके विरूद्व अपीलान्ट व उसके पिता द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जिन्हें अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व की है, वन विभाग की नहीं है । इन परिस्थितियों में प्रस्तुत कार्यवाही करने का वन संरक्षक को अधिकार भी नहीं है । वर्तमान में विवादित भूमि नगर निगम की सीमा व क्षेत्राधिकार में आती है जो नगर निगम का वार्ड नं0 3 है इसलिए इस भूमि के विषय में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार क्षैत्र मात्र नगर निगम कोटा को है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त आदेश दिनांक 30.11.2017 अपास्त किया जावें ।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अधिस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कोई त्रुटि नहीं की है ओर ना ही विवादित भूमि राजस्व विभाग की है, यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है । इस भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृतरूप से काबिज होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही उचित है । अपील बिना आधार के पेश की गई है जो खारिज योग्य है ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया । न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2017 के विरूद्व दिनांक 12.1.2018 के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है, अपील पेश

करने में हुए विलम्ब के बताए गये कारणों पर विचार किया जाकर लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

7. वकील अपीलान्ट का कथन है कि यह भूमि वन विभाग की न होकर राजस्व विभाग की है जो नगर निगम सीमा होने से वन विभाग द्वारा कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा इसकी पुष्टि में कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सकें की यह भूमि वन विभाग की न होकर राजस्व विभाग की हो, साथ ही जब भूमि वन विभाग की है तो वन विभाग अतिक्रमित भूमि पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है चाहे वह नगर निगम सीमा में ही क्यों न हो, क्योंकि जब तक कोई भी भूमि सिवायचक अथवा वन विभाग की भूमि जब तक नगर निगम/नगर विकास न्यास के नाम हस्तान्तरण नहीं हो जाती तब तक नगर निगम अथवा नगर विकास न्यास कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार करने के लिए कोई ठोस आधार या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपील स्वीकार की जा सकें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में हम कोई दोष नहीं पाते है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2017 को निरस्त करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से आदेश दिनांक 30.11.2017 यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा